

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर मुकाम अलवर  
 उनवान सुबेसिंह बनाम सावाईसिंह बगौराह  
 किस्म मुकदमा मुन्तकिल प्रा0पत्र नम्बर 15/ /2019 दायर दिनांक

15/25/19  
 26/06/19  
 26.06.2019

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तारीख  
 से जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जल
26.06.2019	<p>यह पत्रावली बाद रिपोर्ट सरिस्ता हमारे समक्ष पेश हुई।          प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल दर्ज रजिस्टर की          जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें।          प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार रिपोर्ट ली जाकर पत्रावली दिनांक          09.07.2019 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">K</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर          (द्वितीय) अलवर (राज0)</p>

703 अहकाम  
 22/06/19

704 सम्मत  
 22/06/19

29/6/19


पक्षकी पेश हुई वसुलाम  
 उप0। कथन वसुलाम मुनी मंत्री  
 दौमाले कथन वसुलाम मुनी  
 ने निवेदन किया कि बीदासके  
 अधिकांश, उपरर अर्द्धपत्नी मुहल्लार  
 से लालक की उम्मीद नहीं है।  
 उनके नामालक में पिचारीकी  
 पक्षकी अनुगत सिंह वर्मा कथन  
 संवर्धन सिंह वर्मा की किरा अन्ध  
 नामालक से मुन्तकिल कर दिया  
 पक्षे। कथन से दौमाल की पक्षे  
 वसुलाम ने उक्त पिचारीकी पक्षकी  
 की उपरर अधिकांश नामालक

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 (द्वितीय) अलवर

2. मैं मुद्रांकन करने का निर्देश दिया।  
 तथा वकील अज्ञानी ने इस सम्बन्ध में  
 प्रार्थना पत्र पेश कर निर्देश दिया कि यदि  
 इस निर्देशके पत्रवली को उपरोक्त अधिकारी  
 मुद्रांकन से उपरोक्त अधिकारी, नौपचारिकी  
 कानूनविरुद्ध किया जाता है तो अज्ञानी माल  
 को कोर्ट अर्जेंट नहीं है।

अतः वकील अज्ञानी के कर्तव्यानुसार  
 के अन्तर्गत पर उपरोक्त अधिकारी मुद्रांकन  
 के अर्थ निर्देशके पत्रवली अनुमानित 9/7/19 को  
 केवल नौपचारिकी वकील मुद्रांकन 49/2008 को  
 उपरोक्त अधिकारी नौपचारिकी के अन्तर्गत में  
 मुद्रांकन करने के अर्थके निर्देश पत्र ही निर्देश  
 पत्र ही दो नौपचारिकी को पत्रवली निर्देश  
 पत्र है।

निर्देश अतः आदि 09/7/19 को मने जा रहा  
 निर्देश पत्रके अर्थके अन्तर्गत मुद्रांकन माल।

  
 दिनांक 9/7/19